बिहार सरकार,
कृषि विभाग

पत्रांक– कृ0प्र0कि0सला0यो0–01/2015– 83 /कृ0, पटना दिनांक 10.07 2018
प्रेषक,

सुधीर कुमार,
प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
बीरचन्द पटेल पथ, पटना।

अनौपचारिक रूप से परामर्शित #द्वारा – वित्त विभाग।

विषय – **किसान सलाहकार योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2018–19 में 9405.16 लाख (चौरानवे करोड़ पॉच लाख सोलह हजार) रूपये व्यय की स्वीकृति।**

आदेश : **स्वीकृत।**

किसान सलाहकार योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2018–19 में 9405.16 लाख (चौरानवे करोड़ पॉच लाख सोलह हजार) रू० व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. वित्त विभागीय संकल्प संख्या 3758 दिनांक 31.05.2017 की कंडिका 8 के अनुसार यह राज्य क्षेत्र की चालू स्कीम है। इस योजना का कार्यान्वयन वित्तीय वर्ष 2017–18 में स्वीकृत योजना (राज्य योजना 2017–18/विभागीय राज्यादेश संख्या 2389 दिनांक 12.06.2017 एवं 946 दिनांक 16.02.2018) के अनुसार किया जायेगा। इस राज्य योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में मद तथा मानदेय दर में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

3. इस योजना का उद्देश्य पंचायत स्तर पर प्रगतिशील कृषक को प्रसार तंत्र के साथ मिलकर काम करने हेतु प्रेरित करना है। इससे निम्न लाभ होगा :–

(1) कृषि तकनीकी का त्वरित विस्तार।

(2) कृषि प्रसार तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए कृषि में प्रशिक्षण उपरांत मानव संसाधन का उपयोग।

(3) कृषि ज्ञान आधारित रोजगार का सृजन।

4. योजना राज्य के सभी 38 जिलों के सभी पंचायत में कार्यान्वित की जा रही है। राज्य में किसान सलाहकारों का स्वीकृत बल 8463 है। स्वीकृत बल के विरूद्ध वर्तमान में कुल 6480 किसान सलाहकार कार्यरत है। कार्यरत बल के अनुरूप आवश्यक राशि की सूची अनुलग्नक–01 में संलग्न है। इस योजना के कार्यान्वयन की समय–सीमा वर्ष 2018–19 है।

5. किसान सलाहकार योजना की प्रथम स्वीकृति वर्ष 2009–10 में दी गयी थी। योजना स्वीकृति के आलोक में प्रत्येक पंचायत में एक किसान सलाहकार केन्द्र चलाने के लिए किसान सलाहकार का चयन करने हेतु एक राज्य स्तरीय विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। आवेदकों से आवेदन जिला स्तर पर लिये गये तथा जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित चयन समिति के माध्यम से चयन की प्रक्रिया पूरी की गयी। कुल 8463 लक्ष्य के विरूद्ध अद्यतन 6480 किसान सलाहकार कार्यरत हैं।

6. किसान सलाहकार को वर्ष 2009–10 में 2500 रू० प्रतिमाह निश्चित मानदेय निर्धारित किया गया था। दिनांकः 01.04.2012 को इसे बढ़ाकर 5000 रू० प्रतिमाह, दिनांक 01.04.2014 से 6000 रू० प्रतिमाह 01.08.2015 से 6000 रू० से बढ़ाकर 8000 रू० एवं 01.04.17 से 8000 रू0 से बढ़ाकर 12000 रू0 प्रतिमाह किया गया।

7. किसान सलाहकार सेवा अवधि के दौरान मृत्यु होने पर 4.00 (चार लाख) रू० का अनुग्रह अनुदान दिया जायेगा। इसके लिए सरकार द्वारा विहित प्रक्रिया अपनायी जायेगी।

8. कार्यरत संख्या बल 6480 के लिए वित्तीय वर्ष 2018–19 में 9331.2 (तिरानवे करोड़ एकतीस लाख बीस हजार) लाख रू० एवं किसान सलाहकार योजना अन्तर्गत आकस्मिकता पर 12.96 लाख रू० एवं

कार्यालय अपर निदेशक (शष्य), कृषि निदेशालय, बिहार, पटना हेतु 1.00 लाख रू0 व्यय होने की सम्भाव है। मृत्यु अनुग्रह अनुदान पर राशि 60.00 लाख रू० रखी गयी है। इस प्रकार कुल राशि 9405.16 लाख (चौरानवे करोड़ पॉच लाख सोलह हजार) रू० व्यय होने का अनुमान है।

9. प्रस्तावित योजना के लिए 9405.16 लाख (चौरानवे करोड़ पॉच लाख सोलह हजार) रू० व्यय की संभावना है।

10. किसान सलाहकार के द्वारा कृषि प्रसार से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है। धान एवं गेहूँ की श्री विधि जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में इनकी भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण रही है। किसान सलाहकार केन्द्रों के संचालन के लिए वर्तमान में चुने गये किसान सलाहकारों के कार्यों की समीक्षा जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा की जायेगी एवं तद्नुसार उनके चयन की अवधि विस्तारित की जायेगी।

11. योजना कार्यान्वयन में समय–समय पर आवश्यकता होने पर कृषि विभाग द्वारा आवश्यक परिवर्तन किया जा सकेगा।

12. कोटिवार उपलब्ध राशि के विरूद्ध कुल 9405.16 लाख (चौरानवे करोड़ पॉच लाख सोलह हजार) रू० की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति उपरांत स्वीकृत राशि की निकासी अनुसूची–1 के अनुसार संबंधित जिला के जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा अपने संबंधित कोषागार से की जायेगी।

13. वितीय वर्ष 2018–19 की बजट शीर्ष एवं उपबंधित राशि से संबंधित विवरणी निम्न प्रकार है:–

(राशि लाख रूपये में)

बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	स्वीकृत राशि
मुख्य शीर्ष 2401, फसल कृषि कर्म, उप मुख्य शीर्ष 00, लघु शीर्ष 109–विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण, मांग संख्या–01, उप शीर्ष 0106– इनटेनसिफायड फिल्ड डेवलपमेन्ट एण्ड ट्रेनिंग सर्पोट नई योजना, विपत्र कोड–01-2401001090106, विषय शीर्ष 0106.28.02 संविदा सेवायें	8300.00	8027.83
मुख्य शीर्ष 2401, फसल कृषि कर्म, उप मुख्य शीर्ष 00 लघु शीर्ष 789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, मांग संख्या–01, उप शीर्ष 0106– इनटेनसिफाइड फिल्ड डेवलपमेंट एण्ड ट्रेनिंग सर्पोट नई योजना, विपत्र कोड 01-2401007890106,विषय शीर्ष 0106.28.02 संविदा सेवायें	1600.00	1355.68
मुख्य शीर्ष 2401, फसल कृषि कर्म, उप मुख्य शीर्ष 00 लघु शीर्ष 796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना, मांग संख्या–01, उप शीर्ष 0134– इनटेनसिफाइड फिल्ड डेवलपमेंट एण्ड ट्रेनिंग सर्पोट नई योजना, विपत्र कोड 01-2401007960134, विषय शीर्ष 0134.28.02 संविदा सेवायें	100.00	21.65
कुल	10000.00	9405.16

14. राज्यादेश में माननीय मंत्री, कृषि का अनुमोदन दिनांक– 26.03.2018 को संचिका संख्या– कृ0प्र0कि0सला0यो0–01/2015 के पृ0सं0– 60/टि० पर प्राप्त है।

15. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–7355 वि0 (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

16. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–कृ0प्र0कि0संला0यो0–01/2015 के पृ0सं0– 63/टि. पर दिनांक– 05.04.2018 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

9.4.2018

(सुधीर कुमार)

प्रधान सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – कृ0प्र0कि0सला0यो0–01/2015 83 /कृ0, पटना, दिनांक 10.04, 2018

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, महालेखाकार (ले० एवं ह०) कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9.4.2018

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – कृ0प्र0कि0सला0यो0–01/2015 83 /कृ0, पटना, दिनांक 10.04, 2018

प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग(बजट शाखा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9.4.2018

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – कृ0प्र0कि0सला0यो0–01/2015 83 /कृ0, पटना, दिनांक 10.04, 2018

प्रतिलिपिः– सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9.4.2018

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – कृ0प्र0कि0सला0यो0–01/2015 83 /कृ0, पटना, दिनांक 10.04, 2018

प्रतिलिपिः– सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9.4.2018

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – कृ0प्र0कि0सला0यो0–01/2015 83 /कृ0, पटना, दिनांक 10.04, 2018

प्रतिलिपि– कृषि मंत्री के आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त के आप्त सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना/अपर निदेशक, (शष्य) बिहार, पटना/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/निदेशक, पी0पी0एम0, कृषि विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/ संबंधित उप निदेशक (शष्य)/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/ सभी उप निदेशक, (शष्य) प्रक्षेत्र/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य बीज निगम/मुख्यालय स्थित सभी संबंधित पदाधिकारीगण/बजट एवं योजना शाखा (सचिवालय एवं निदेशालय) कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2–उप निदेशक (शष्य) सूचना/आई0 टी0 मैनेजर कृषि विभाग, बिहार, पटना को अनुलग्नक के साथ विभाग के बेवसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित पदाधिकारियों तथा कोषागार पदाधिकारियों को ई–मेल से भेजने हेतु प्रेषित।

9.4.2018

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

वित्तीय वर्ष 2018–19 में कार्यरत किसान सलाहकार योजना के लिए अनुमानित व्यय की राशि।

क्र० सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	जिला का नाम	स्वीकृत बल	कार्यरत बल			कुल कार्यरत बल	वित्तीय वर्ष 2018–19 का अनुमानित व्यय @12000 प्रतिमाह x 12 माह			वित्तीय वर्ष 2018–19 का अनुमानित व्यय
				सामान्य	अनु० जाति	अनु० जन जाति		सामान्य	अनु० जाति	अनु० जन जाति	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	जि०कृ०पदा०	पटना	331	192	43	0	235	27648000	6192000	0	33840000
2	जि०कृ०पदा०	नालंदा	249	147	28	0	175	21168000	4032000	0	25200000
3	जि०कृ०पदा०	भोजपुर	228	121	26	1	148	17424000	3744000	144000	21312000
4	जि०कृ०पदा०	बक्सर	142	101	21	0	122	14544000	3024000	0	17568000
5	जि०कृ०पदा०	रोहतास (सासाराम)	246	134	15	0	149	19296000	2160000	0	21456000
6	जि०कृ०पदा०	कैमूर (भभुआ)	151	89	16	2	107	12816000	2304000	288000	15408000
7	जि०कृ०पदा०	गया	332	210	26	0	236	30240000	3744000	0	33984000
8	जि०कृ०पदा०	औरंगाबाद	203	128	27	0	155	18432000	3888000	0	22320000
9	जि०कृ०पदा०	जहानाबाद	93	59	12	0	71	8496000	1728000	0	10224000
10	जि०कृ०पदा०	अरवल	68	45	12	0	57	6480000	1728000	0	8208000
11	जि०कृ०पदा०	नवादा	187	116	22	0	138	16704000	3168000	0	19872000
12	जि०कृ०पदा०	सारण (छपरा)	330	206	53	2	261	29664000	7632000	288000	37584000
13	जि०कृ०पदा०	सिवान	293	191	44	0	235	27504000	6336000	0	33840000
14	जि०कृ०पदा०	गोपालगंज	234	168	38	2	208	24192000	5472000	288000	29952000
15	जि०कृ०पदा०	मुजफ्फरपुर	387	247	48	2	297	35568000	6912000	288000	42768000
16	जि०कृ०पदा०	पूर्वी चम्पारण	410	258	53	0	311	37152000	7632000	0	44784000
17	जि०कृ०पदा०	पश्चिम चम्पारण	315	230	44	3	277	33120000	6336000	432000	39888000
18	जि०कृ०पदा०	सीतामढ़ी	273	177	21	0	198	25488000	3024000	0	28512000
19	जि०कृ०पदा०	शिवहर	53	40	8	0	48	5760000	1152000	0	6912000
20	जि०कृ०पदा०	वैशाली	290	213	37	0	250	30672000	5328000	0	36000000
21	जि०कृ०पदा०	दरभंगा	330	219	38	0	257	31536000	5472000	0	37008000
22	जि०कृ०पदा०	मधुबनी	399	271	44	0	315	39024000	6336000	0	45360000